# न्यायालय अपर जिला जज/एफ०टी०सी० (14 वां वित्त आयोग), हरदोई।

**पीठासीन अधिकारी–यशपाल, (उच्चतर न्यायिक सेवा)**

**जे०ओ० कोड– यू०पी० 1867**

**दीवानी अपील संख्या–08/2018**

**शिव कुमार आर्य बनाम सुखलाल**

**दिनांक–19.11.2024**

**1.** पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली आज प्रार्थना पत्र 19 क तथा 20 क के निस्तारण हेतु नियत है। उक्त प्रार्थना पत्रों पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना जा चुका है।

**2.** अपीलार्थी/प्रार्थी शिव कुमार आर्य की ओर से **प्रार्थना पत्र 19 क**, अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 (2) तथा आदेश 6 नियम 17 जा०दी० मूल वाद संख्या 137/2006, के वाद पत्र में संशोधन के संबंध में दिया गया है तथा प्रार्थना पत्र 20 क, अन्तर्गत धारा 80 (2) जा०दी० उत्तर प्रदेश सरकार पक्ष योजन हेतु नोटिस विमुक्ति हेतु प्रस्तुत किया गया।

**3.** उपरोक्त प्रार्थना पत्रों के संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि दीवानी वाद संख्या 137/2006 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया गया था। दिनांक 13–12–2006 तथा दिनांक 15–10–2011 की तिथि पर वाद बिन्दुओं की रचना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी थी। प्रतिवादी/उत्तरदाता द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष योजन के विषय में किसी बिन्दु रचना पर कोई बल नहीं दिखा अर्थात प्रतिवादी द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को पक्ष योजन के दोष को Waived कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई साक्ष्य में असंयोजन के बिन्दु पर प्रतिवादी उत्तरदाता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित नहीं किया गया और अंतिम बहस में इस बिन्दु पर प्रतिवादी उत्तरदाता द्वारा कोई बहस भी नहीं की गयी थी। आक्षेपित निर्णय के पेज नम्बर 25 कागज संख्या 335 क/13 के अन्तिम प्रस्तर तथा पेज नम्बर 26 के प्रथम पैरा में उत्तर प्रदेश सरकार आवश्यक पक्ष है, का दोष नया कथानक श्रजित करके आक्षेपित निर्णय पारित किया। स्थापित विधि सिद्धान्त है कि कुसंयोजन अथवा असंयोजन के आधार और कारण पर कोई वाद विफल नहीं होगा। न्यायालय पक्षों के मध्य जो विवाद विषय का निपटान किया जाना है, न्यायालय निर्णय पारित करेगा किन्तु आवश्यक पक्ष पर सिद्धान्त अनुयोज्य रहेगा। न्यायालय अभिकथनों के आधार पर यदि यह पाता है कि कुसंयोजन तथा असंयोजन का बिन्दु है, तो उस स्थित में प्रारम्भिक बिन्दु विरचित किया जाना अनिवार्य होगा और निस्तारण प्रारम्भिक विन्दु के रूप में निस्तारण किया जावेगा अचानक पक्ष को भ्रम की स्थिति में रखते हुए रहस्य कारित नहीं किया जावेगा इसलिए वाद में उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष योजन आवश्यक है। पक्ष योजन न्यायालय अधीनस्थ द्वारा पारित आदेश के क्रम में आवश्यक है। अतः दीवानी वाद संख्या 136/2006 में निम्न भांति पक्ष योजन की अनुमति तथा उत्तर प्रदेश सरकार को पक्ष योजन हेतु नोटिस विमुक्ति प्रदान किये जाने की प्रार्थना की गयी है। तद्नुसार वादपत्र निम्म भांति संशोधित किए जाने की अनुमति प्रदान की जावे।

Digitally signed by Yashpal
Date: 2024.11.19 16:02:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

**4.** उत्तरदाता सुखलाल की ओर से आपत्ति कागज संख्या 21 ग दाखिल की गयी है तथा विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि उपरोक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपीलार्थी/वादी शिव कुमार वाद पत्र की कमियों को भरना चाहता है, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। अपीलार्थी/वादी शिव कुमार का मुकदमा उत्तर प्रदेश सरकार को पक्षकार न बनाये जाने के साथ साथ अन्य आधारों पर भी निरस्त किया गया है। अपीलार्थी/वादी शिव कुमार प्रार्थना पत्र में न तो कोई अर्जेंसी दर्शित की है और न ही उसकी अनुमति दी जा सकती है। धारा 80 (2) जा०दी० का प्रार्थना पत्र अपील के स्तर पर धारणीय नहीं है। प्रार्थना पत्र 19 क तथा 20 क निरस्त किये जाने योग्य है।

**5.** पत्रावली का परिशीलन किया। पत्रावली के परिशीलन से स्पषट है कि अपीलार्थी/प्रार्थी शिव कुमार आर्य की ओर से **प्रार्थना पत्र 19 क**, अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 (2) तथा आदेश 6 नियम 17 जा०दी० मूल वाद संख्या 137/2006, के वाद पत्र में संशोधन के संबंध में दिया गया है तथा **प्रार्थना पत्र 20 क,** अन्तर्गत धारा 80 (2) जा०दी० उत्तर प्रदेश सरकार पक्ष योजन हेतु नोटिस विमुक्ति हेतु प्रस्तुत किया गया। मूल वाद संख्या 137/2006 शिव कुमार बनाम सुखलाल की पत्रावली का भी अवलोकन किया। उपरोक्त मूल वाद की पत्रावली के अवलोकन से दर्शित होता है कि वादी शिव कुमार द्वारा उक्त प्रतिवादी सुखलाल के विरुद्ध मुकदमा स्थायी निषेधाज्ञा एवं आज्ञापक निषेधाज्ञा के संबंध में दाखिल किया गया है तथा प्रतिवादी सुखलाल द्वारा उपरोक्त मूल वाद में वादोत्तर कागज संख्या 21 क दाखिल करते हुये वादोत्तर के पैरा 18 में गांव सभा व उत्तर प्रदेश सरकार को पक्षकार न बनाये जाने के दोष का उल्लेख किया था। उपरोक्त वादोत्तर के विरुद्ध वादी द्वारा जवाबुल–जवाब कागज संख्या 28 क दाखिल किया गया है तथा उक्त वादोत्तर के पैरा 18 के कथनों को निर्मूल होने का कथन किया गया है। अतः स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रथम अवसर का आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन के संबंध में आपत्ति की थी, जिसके संबंध में न्यायालय द्वारा दिनांक 13.12.2006 को वाद बिन्दु संख्या 4 विरचित किया था। परन्तु वादी द्वारा आवश्यक पक्षकारों को वाद पत्र में सम्मिलित नहीं किया।

**6.** मूल वाद संख्या 137/2006 में न्यायालय द्वारा उभय पक्षों को सुनकर गुणदोष के आधार पर दिनांक 16.03.2018 को निर्णय पारित किया था तथा वादी का वाद सव्यय निरस्त किया था। **वाद बिन्दु संख्या 4 के** निस्तारण में न्यायालय द्वारा साक्ष्योंपरान्त यह **निष्कर्ष** दिया था कि **प्रतिवादी यह साबित करने में सफल रहा है कि सरकार प्रस्तुत वाद में आवश्यक पक्षकार है। जिसे वादी द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया। वादी का वाद आवश्यक पक्षकारों के दोष से दूषित है**। ऐसा दर्शित है कि उपरोक्त प्रार्थना पत्रों के माध्यम से, अपील के स्तर पर अपीलार्थी/प्रार्थी शिव कुमार द्वारा उक्त विधिक कमी को भरने का प्रयास किया गया। **सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का भाग IV** सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद या अपनी पदीय हैसियत में लोक अधिकारी द्वारा या उसके विरुद्ध वाद से संबंधित है तथा धारा 80 जा०दी० में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि उपरोक्त वाद तब तक संस्थित नहीं किया जायेगा जब तक इस संबंध में **लिखित सूचना** राज्य सरकार के विरुद्ध वाद की दशा में उस सरकार के सचिव को या जिले के कलेक्टर को दो मास का समय का अवसान न हो गया हो तथा धारा 80 (2) जा०दी० आवश्यक मामले में अत्यावश्यक या तुरन्त अनुतोष अभी प्राप्त करने के मामले में उक्त लिखित नोटिस से अभिमुक्ति दी जा सके। उपरोक्त

प्रावधान के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद संस्थन के पूर्व का है एवं एक आज्ञापक प्रावधान है और उपरोक्त मूल वाल 137/2006 में वादी द्वारा उक्त आज्ञापक प्रावधान का भी अनुपालन नहीं किया गया और न ही प्रतिवादी के आपत्ति किये जाने के पश्चात भी आवश्यक पक्षकारों का संयोजन का कोई प्रयास ही किया गया। अपील के स्तर पर धारा 80 (2) जा०दी० जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के वाद पत्र में संयोजन की पूर्व शर्त है, की अनुमति अपीलार्थी को नहीं दी जा सकती है। संशोधन के माध्यम से अपीलार्थी को किसी विधिक आज्ञापक प्रावधान को पराजित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

**7.** उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में न्यायालय के मत में प्रार्थना पत्र 19 क व प्रार्थना पत्र 20 क निरस्त किये जाने योग्य है।

## आदेश

**8. अपीलार्थी/वादी शिव कुमार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 19 क व प्रार्थना पत्र 20 क निरस्त किये जाते है।** पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 30.11.2024 को पेश हो।

**दिनांक–19.11.2024**

**(यशपाल)**
**अपर जिला जज/एफ०टी०सी०**
**(14 वां वित्त आयोग), हरदोई।**
**जे०ओ० कोड– यू०पी० 1867**